

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान जयपुर
कमांक अराज/सामान्य/2019/ दिनांक मार्च, 2019

आदेश

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी आदेशों में निम्नलिखित कार्मिकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन में रही त्रुटियों में उनके नाम के सम्मुख अंकितानुसार शुद्धिकरण किया जाता है :-

क्र.	नाम कार्मिक	आदेश/दिनांक (क.सं.)	शुद्धिकरण
1	रिंकी बाई मीणा, नर्स द्वितीय	248/08.03.2019 (177)	कार्मिका का नाम रिंकी मीणा के स्थान पर रिंकी बाई मीणा तथा नवीन पदस्थापन स्थान प्रा स्वा.केन्द्र, गुदरपाडा, दौसा के स्थान पर प्रा स्वा केन्द्र, पुन्दरपाडा, दौसा।
2	शीला दत्ता, नर्स प्रथम	210/02.03.2019 (28)	कार्मिका का पदनाम नर्स द्वितीय के स्थान पर नर्स प्रथम।
3	तारा ग्रेस, नर्स प्रथम	252/08.03.2019 (10)	कार्मिका का पदनाम नर्स द्वितीय के स्थान पर नर्स प्रथम।
4	मधुबाला यादव	252/08.03.2019 (06)	कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन स्थान एवं नवीन पदस्थापन सहवन से विपरीत अंकित किये गये हैं। अतः इनका वर्तमान पदस्थापन स्थान सामा चिकि., अलवर पर नवीन पदस्थापन स्थान शहरी चिकित्सालय, न. 4 शिवाजी पार्क, अलवर पढा जावे।
5	रजनी वर्मा	252/08.03.2019 (07)	कार्मिक का वर्तमान पदस्थापन स्थान एवं नवीन पदस्थापन सहवन से विपरीत अंकित किये गये हैं। अतः इनका वर्तमान पदस्थापन स्थान शहरी चिकित्सालय, नं 4 शिवाजी पार्क, अलवर पर नवीन पदस्थापन स्थान सामा. चिकि., अलवर पढा जावे।

आदेशों का शेष भाग यथावत रहेगा।

50
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

कमांक अराज/सामान्य/2019/268

दिनांक : 15 मार्च, 2019

प्रतिलिपी निम्नलिखित का वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. विशिष्ट सहायक, मा मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा.राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, आयुर्विज्ञान महाविद्यालय।
5. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ।
6. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
7. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।
9. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
10. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. आदेश/रक्षित पत्रावली।

7
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राजस्थान जयपुर

J.Gaur